(घ) जी, नहीं ।

(ङ) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में न्यूनतम तथा अधिकतम मजदूरी की कोई प्रणाली नहीं है । संस्थानों में काम करने वाले कारीगर अंशकालिक तथा पूर्ण कालिक दोनों आधार पर काम करते हैं तथा उन पर विशिष्ट कार्य घंटे लागू नहीं होते हैं । कई कारीगर स्वयं अपना कार्य भी करते हैं तथा अपने घरों में परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से कार्य करते हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र न्यूनतम निर्वाह मजदूरी के बराबर वेतन देने में सक्षम हैं यदि किसी कारीगर से आठ घंटे या पूर्ण कालिक आधार पर कार्य लिया जाता है । सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग एकक हैं ।

देश में सीमेंट उत्पादन में वृद्धि

5945. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है ;

(ख) मार्च, 1994 तक देश में सीमेंट की स्थापित क्षमता कितनी थी और कितनी प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जा रहा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में सीमेंट की मांग में कमी आ रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सीमेंट की मांग में कमी से निपटने हेतु विशेष रूप से छोटे सीमेंट संयंत्रों द्वारा उत्पादित किये सीमेंट की बिक्री के लिये प्रोत्साहन देने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां । पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सीमेंट का उत्पादन इस प्रकार है :-

वर्ष	उत्पादन (मिलियन मी. टन में)
1991-92	54.01
1992-93	54.14
1993-94	57.83

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सीमेंट उद्योग की संचालन क्षमता 70 मिलियन मी.टन.वार्षिक थी । वर्ष 1993-94 के दौरान क्षमता उपयोग 83% था ।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में सीमेंट की अनुमानित मांग में गिरावट आई है ।

(घ) और (ङ) सीमेंट उद्योग को 25-7-1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । 1 मार्च 1989 से वितरण और मूल्य में भी पूरी तरह नियंत्रण हटा लिया गया है । किन्तु सरकार अधिकता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में कोयले को ले जाने के लिये प्राथमिकता के आधार पर कोयले, वैगनों की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधायें देकर सीमेंट उद्योग की मदद करती है । मिनी सीमेंट संयंत्रों को उत्पाद-शुल्क में रियायत दी गई है । घरेलू बाजार में सीमेंट की अधिकता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के निर्यात को भी प्रोत्साहन दे रही है ।